निरीक्षण आख्या, **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर)** के माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री भानुप्रताप सिंह एवं श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.10.2016 से 27.10.2016 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

(1) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री धीरज रामुका, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो. सलीम खान, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.05.2014 से 26.05.2014 तक श्री रमेश मिश्रा, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें माह 03/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

इकाई द्वारा विभिन्न विभागों से निक्षेप मद के अंतर्गत आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण किया जाता है तथा वर्ष 2016-17 से तीन किमी. तक की ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इकाई को इस हेतु नियोक्ता विभागों द्वारा कार्य एवं धनराशि अवमुक्त की जाती है जिसे पूर्ण करने के पश्चात इकाई संबंधित विभागों को हस्तगत कर देती है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण चमोली जनपद है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है।

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	(+)	(-)
2014-15	-	2377.49	1669.30	1669.30	1758.06	1438.10	-	2697.45
2015-16	-	2697.45	1651.30	1651.30	2393.59	2090.49	-	3000.55
2016-17 (9/2016)	-	3000.55	1427.20	1427.20	630.52	107.93	-	2623.14

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है।

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	दैवीय आपदा	42.47	-	10.38	-	**32.09**
	नन्दादेवी राजजात	1.84	-	1.60	-	0.24
	रमसा	309.29	675.29	362.11	-	622.47
	बी.ए.डी.पी.	43.75	25.00	39.90	-	28.85
	सांसद निधि	5.46	5.00	8.89	-	1.57
	रा. कृषि विकास योजना	17.29	-	17.29	-	-
2015-16	दैवीय आपदा	32.09	-	21.97	-	10.12
	पशुपालन	27.60	10.04	19.91	-	17.73
	रमसा	622.47	441.81	743.02	-	321.26
	बी.ए.डी.पी.	28.85	30.01	33.53	-	25.33
	सांसद निधि	1.57	40.65	29.95	-	12.27
2016-17	दैवीय आपदा	10.12	-	-	-	10.12
	पशुपालन	17.73	4.19	10.88	-	11.04
	रमसा	321.26	127.79	326.58	-	122.47
	बी.ए.डी.पी.	25.33	27.92	1.46	-	51.79
	सांसद निधि	12.27	23.99	23.58	-	12.68

(iii) इकाई को बजट आवंटन स्थापना हेतु राज्य बजट एवं निर्माण कार्यों हेतु निक्षेप मद के अंतर्गत विभिन्न नियोक्ता विभागों द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए ए श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

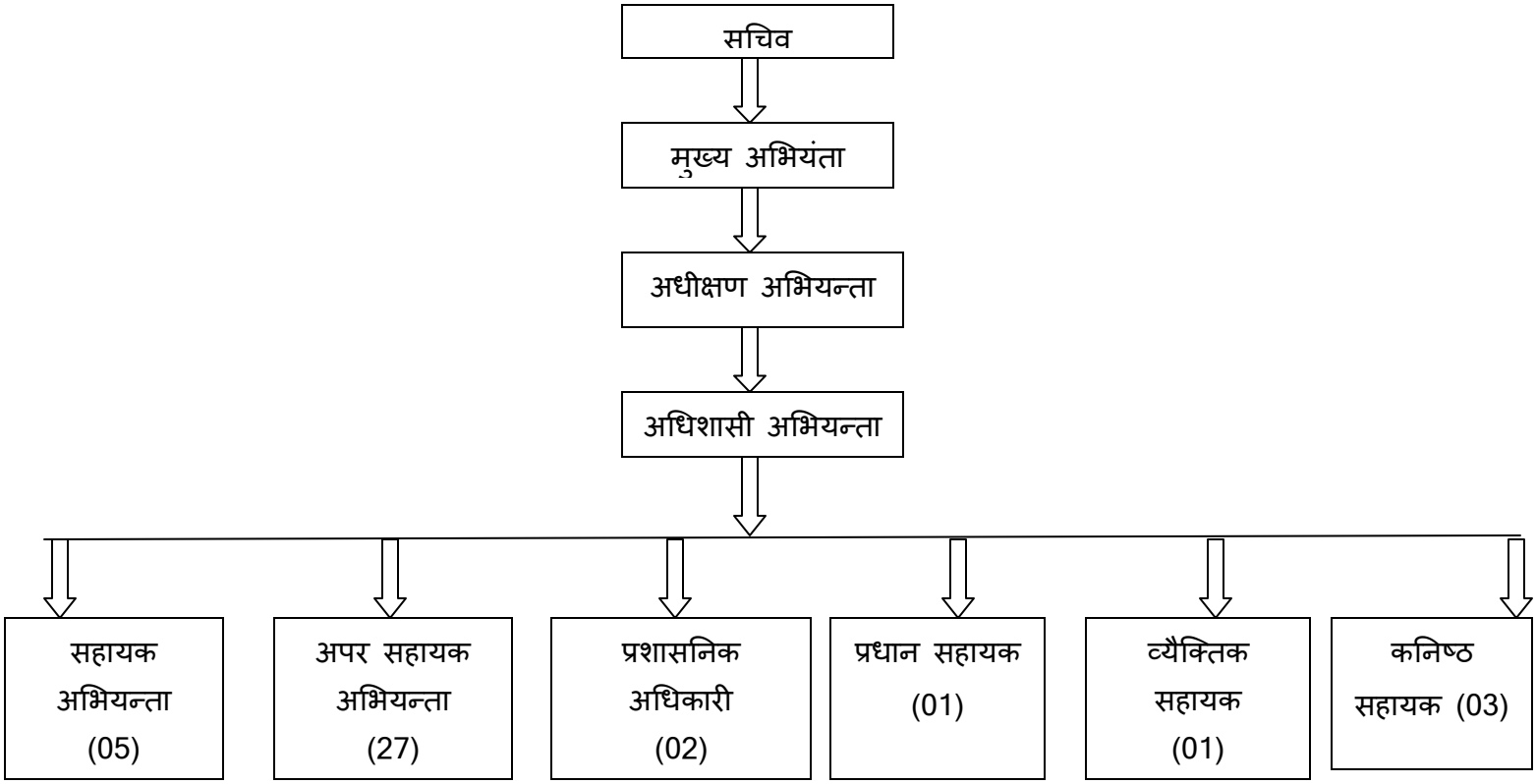

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015 एवं मार्च 2016 को विस्तृत जाँच हेतु चयनित किया गया। पूर्ण किए गये कार्यों में से ` 50.00 लाख से अधिक स्वीकृति की 09 योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन पूर्ण कार्यों के अंतर्गत अधिकतम स्वीकृति एवं व्यय के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 09.07.2014 से 11.07.2014 का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 09/2015 तक की गई।

5. फार्म 51- माह 09/2016 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित का जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम- ` 6810

भाग द्वितीय- ` 23939.75

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अंत में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - शून्य

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप - ` 25,33,70,140

(ड) भण्डार - ` 9,08,935.36

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- रायल्टी के रूप में शासन को ` 5.31 लाख की राजस्व हानि।

अधिशासी अभियंता, आहरण एवं संवितरण शासकीय राजस्व जैसेः- आयकर, रायल्टी एवं विक्रय कर को प्रचलित दरों पर ठेकेदारों के देयकों से कटौती/वसूली के लिए जिम्मेदार होता है। शासन द्वारा रायल्टी हेतु खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उप खनिज नियमावली, 1963) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001 में राज्य के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर संशोधन किए गये। उक्त संशोधनों के अनुसार विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर एवं इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए दिनांक 07.08.2015 से ` 90.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर 200.00 प्रति घनमीटर, दिनांक 10.12.2015 से ` 200 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 90.00 प्रति घनमीटर, दिनांक 26.02.2016 से ` 90.00 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 194.50 प्रति घनमीटर एवं दिनांक 19.05.2016 से ` 194.50 प्रति घनमीटर के स्थान पर ` 154.00 प्रति घनमीटर कटौती दरें निर्धारित की गई थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा 41 निर्माण कार्यों पर खनिज पदार्थों जैसेः- पत्थर, बालू एवं मिट्टी जो ठेकेदारों द्वारा प्रयोग में लाए गये थे, पर उपयोग की गई सामग्री पर रायल्टी संशोधित दरों के आधार पर वसूल नहीं की गई। परिणामस्वरूप ` 5.31 लाख (संलग्नक- 2) की रायल्टी की वसूली देयकों से नहीं की गई जबकि रायल्टी की वसूली ठेकेदार द्वारा प्रत्येक देयक से उपयोग के गये खनिज पदार्थों पर समय-समय पर हुए संशोधनों के आधार पर की जानी चाहिए थी। निक्षेप पंजिका, अन्तिम देयक एवं मासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार संलग्नक में उल्लिखित 41 निर्माण कार्यों में से 23 कार्य पूर्ण एवं 18 कार्य प्रगति में थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि शासन स्तर पर संशोधित आदेशों में स्पष्ट निर्देश प्राप्त न होने के कारण रायल्टी की कटौती पूर्व दरों पर ही की गई। वर्तमान में संशोधित दरों के आधार पर कटौती की जा रही है। वसूली के संबंध में प्रखण्ड ने बताया कि संशोधित दरों के आधार पर कम कटौती की वसूली हेतु प्रयास किए जाएगें। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा स्पष्ट रूप से रायल्टी की दरों को समय-समय पर संशोधित किया गया था तथा जिन कार्यों पर पूर्ण भुगतान हो गया है उनकी वसूली प्रखण्ड किस प्रकार कर पाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। संशोधित दरों पर रायल्टी न किया जाना न केवल ठेकेदारों को अदेय लाभ पहुँचाना हुआ अपितु शासन को भी ` 5.31 लाख के राजस्व से वंचित करना भी हुआ।

अतः रायल्टी के रूप में शासन को ` 5.31 लाख के राजस्व हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- निर्माण कार्यों को बन्द किए जाने पर परिणामस्वरूप ` 54.15 लाख का अनुपयोगी व्यय।

विद्यालय में छात्र-छात्राओं के अध्ययन के लिए समुचित व्यवस्था किए जाने के उद्देश्य हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निक्षेप मद के अंतर्गत ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली को राजकीय इण्टर कालेज, नैलसांकरी, गोदली, राजकीय हाईस्कूल, सलना एवं राजकीय जूनियर हाईस्कूल, रौंता में प्रयोगशाला भवन, कक्षा-कक्ष एवं विद्यालय भवन हेतु ` 74.36 लाख अवमुक्त किए गये।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली के निक्षेप कार्यो से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा चार कार्यों पर अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ` 54.15 लाख व्यय किए जाने के पश्चात कार्य को बन्द कर दिया गया, जबकि पूर्ण रूप से बन्द किए जाने के समय चार कार्यों की भौतिक प्रगति 45 से 95 प्रतिशत थी। बन्द किए गये कार्यों का विस्तृत निम्नवत हैः-

(` लाख में)

क्र.स.	**कार्य का नाम**	**अनुबंध संख्या0**	**स्वीकृत राशि**	**प्राप्त राशि**	**व्यय राशि**	**भौतिक प्रगति**
1.	रा.इ.का नैलसांकरी में प्रयोगशाला का निर्माण	36/एस.ई./2015-16 दिनांक 07.09.2015	14.67	14.67	7.00	95%
2.	रा.हा. सलना में कक्षा-कक्ष का निर्माण	38/एस.ई./2015-16 दिनांक 10.09.2015	11.40	11.40	4.72	45%
3.	रा.इ.का., गोदली, पोखरी	22/एस.ई./2015-16	65.64	21.67	21.64	70%

		दिनांक 16.02.2015				
4.	रा.जू.हा. स्कूल, रौंता, पोखरी	26/एस.ई./2015-16 दिनांक 27.02.2015	80.69	26.62	20.79	50%
योगः-			**172.40**	**74.36**	**54.15**	

उक्त से स्पष्ट है कि विद्यालयों के भवनों का निर्माण समय पर न किए जाने के कारण न केवल अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं पर असर पड़ रहा होगा अपितु ` 54.15 लाख व्यय किए जाने के बावजूद भी वांछित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति नहीं हो रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित के जाने पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली ने अपने उत्तर में बताया कि उक्त चारों कार्यों के लम्ब समय तक मार्ग अवरूद्ध एवं ठेकेदार द्वारा पुनः अनुबन्धित दरों पर कार्य न किए जाने के कारण कार्यों को बन्द करना पड़ा, जिस हेतु ग्राहक विभाग को अवगत कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त का संज्ञान पूर्व में ही लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कार्यों को बन्द किए जाने के कारण उन पर हुआ व्यय ` 54.15 लाख अनुपयोगी रहा।

अतः निर्माण कार्यों को बन्द किए जाने के परिणामस्वरूप ` 54.15 लाख के अनुपयोगी व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- पूर्ण कार्यों पर अव्ययित धनराशि ` 166.62 लाख ग्राहक विभागों को वापस न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 634 में निर्दिष्ट है कि पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों की अव्ययित धनराशियों को संबंधित ग्राहक विभागों को जमा में कमी दर्शाते हुए वापस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 514 में यह भी निर्दिष्ट है कि निक्षेप कार्य पूर्ण होने/हस्तगत किए जाने के पश्चात निक्षेप कार्य के खाते यथाशीघ्र बन्द किए जाने चाहिए।

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली के निक्षेप कार्यों से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सितम्बर 2016 तक 14 विभागों द्वारा निक्षेप के रूप में अवमुक्त धनराशि के अंतर्गत पूर्ण किए गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष अव्ययित अवशेष धनराशि ` 166.62 लाख न तो संबंधित ग्राहक विभागों को वापस की गई एवं न ही हस्तगत किए जाने के

बाद भी वित्तीय प्रावधानों के अनुरुप उनके खाते बन्द किए गए। सितम्बर 2016 तक विभागवार पूर्ण किए गये निर्माण कार्यों के सापेक्ष अव्ययित अवशेष धनराशि का विवरण निम्नवत हैः-

क्र.सं.	**ग्राहक विभाग का नाम**	**कार्यों की संख्या**	**पूर्ण कार्यों की अवशेष राशि**
1.	ग्राम्य विकास विभाग	19	51,55,605
2.	डी.आर.डी.ए.	01	3,269,
3.	राजस्व विभाग	07	10,10,255
4.	पशुपालन विभाग	09	15,59,101
5.	आयुर्वेदिकविभाग	07	5,16,119
6.	स्वास्थ्य विभाग	13	33,40,636
7.	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र	02	73,322
8.	पंचायतीराज विभाग	01	48,250
9.	पर्यटन विभाग	29	15,24,821
10.	पुलिस विभाग	09	2,92,933
11.	दुग्ध विभाग	04	1,10,963
12.	सहकारी विभाग	04	1,95,835
13.	शिक्षा विभाग	39	13,80,231
14.	पी.आर.डी. विभाग	03	14,50,225
योगः-			**166,61,565**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली ने अपने उत्तर में बताया कि अव्ययित धनराशि में कन्टिंजैन्सी, बचत एवं अवशेष भुगतान सम्मिलित हैं जिसे जांचोपरांत संबंधित विभागों को वापस कर दी जायेगी। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि नियमानुसार प्रखण्ड को यह कार्रवाई निर्माण कार्यों को पूर्ण होने पर ही की जानी चाहिए थी। समय पर ऐसा न कर कहीं न कही अव्ययित धनराशि का उपयोग अन्य अपूर्ण निर्माण कार्यों पर भी किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः पूर्ण कार्यों पर अव्ययित धनराशि ` 166.62 लाख ग्राहक विभागों को वापस न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि ` 195.59 लाख का अवरोधन।

ग्रामीण निर्माण विभाग को विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा निक्षेप मद के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु धनराशि उनके द्वारा तैयार किए गये विस्तृत प्राक्कलनों के आधार पर स्वीकृत एवं अवमुक्त की जाती है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चमोली के निक्षेप कार्यों से संबंधित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा ग्राहक विभागों द्वारा स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि ` 195.59 लाख प्राप्त होने के बावजूद सात कार्यों को प्रारम्भ ही नहीं किया गया जबकि उक्त सात कार्यों हेतु धनराशि प्रखण्ड द्वारा तैयार विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर ही की निर्गत की गई थी। प्रखण्ड द्वारा उक्त कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त होने के 18 माह से 29 माह पश्चात भी निविदाऐं आंमत्रित नहीं की गई परिणामतः ` 195.59 लाख की धनराशि प्रखण्ड के पास ही अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

कार्यों का विस्तृत विवरण निम्नवत हैः-

(` लाख में)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**स्वीकृति राशि**	**स्वीकृति का माह**	**कार्यालय को प्राप्त राशि**	**धनराशि प्राप्त होने का माह**
1.	सामुदायिक विकास सह विपणन केन्द्र, गडोरा	72.67	03/2014	72.67	04/2014
2.	रा.बा.इ.का., पोखरी में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	9.32	03/2015	9.32	03/2015
3.	रा.ज.हा., जखोला में विविध कार्य	124.46	03/2011	28.48	-
4.	रा.इ.का., जाख	43.58	03/2012	12.36	-
5.	रा.उ.मा.वि. झिंझोणी में मुख्य भवन	112.74	04/2014	37.22	04/2014
6.	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मालसी के टाईप-4 के आवासीय भवन का निर्माण	28.54	02/2014	28.54	-
7.	बधाणगढी के पाषाण शिला खण्डहरों का जीर्णोधार एवं पेयजल व्यवस्था	7.00	03/2015	7.00	03/2015
	योगः-	**398.31**		**195.59**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-चोमली ने अपने उत्तर में बताया कि तालिका में उल्लिखित सात कार्यों में भूमि की अनउपलब्धता, ग्रामीणों का भूमि विवाद, निविदा अधिक दरों पर प्राप्त होने के कारण कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया

जा सका। संबंधित कार्यों को प्रारम्भ किए जाने हेतु ग्राहक विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा प्रयास जारी है।

अतः निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि ` 195.59 लाख के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-II (ब) प्रस्तर संख्या
80/2006-07	-	
95/2010-11	-	1 एवं 2
18/2014-15	1	1,2, 3, 4 एवं STAN-1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

प्रखण्ड की लेखापरीक्षा के दौरान प्रखण्ड में निम्नलिखित कार्य सर्वोत्तम पाए गयेः-

1. रोकड़ बही एवं उससे संबंधित अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया गया था।
2. निक्षेप पंजिका का रख-रखाव सही ढंग से किया गया था।
3. मासिक व्यय वाउचर व्यवस्थित ढंग से रखे गये थे।
4. अन्य अभिलेख भी उचित ढंग से रखे गये थे।
5. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा जाँच हेतु समस्त अभिलेख तत्परता के साथ उपलब्ध करवाए गये।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः-

(i) चयनित कार्यों की निविदा पत्रावली

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1.	श्री के.बी. थपलियाल	अधिशासी अभियन्ता
2.	श्री विनोद कुमार	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिसका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

4. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंध रहे।

1. श्री रघुवीर सिंह राणा, दिनांक 01.04.2014 से 08.08.2016

2. श्री अरविन्द कुमार, दिनांक 08.08.2016 से 26.09.2016

3. श्री राम कुमार चौरसिया, दिनांक 26.09.2016 से वर्तमान तक

भाग-पंचम

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड चमोली (गोपेश्वर)** को इस आशय से प्रेषित की जाएगी कि उनकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)